

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 846]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025 — कार्तिक 16, शक 1947

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

अधिसूचना

GENCOR/11035/2025-WCD.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का स. 2) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (04) में उल्लिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए, कॉलम (03) में उल्लिखित क्षेत्र के लिए प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात :-

सारणी

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/राजस्व जिला	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कांकेर	कांकेर	श्री गुलापन राम यादव, सिविल जज सिनियर डिविजन भानुप्रतापपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 7th November 2025

NOTIFICATION

No. GENCOR/11035/2025-WCD.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (C. 2 of 2016), the State Government hereby, as per the table given below: Notifying the Judicial Magistrate of the first class mentioned in column (04) as the Chairman of the Juvenile Justice Board, reconstitutes the Juvenile Justice Board by including as the Principal Magistrate for the area mentioned in column (03), namely: :-

TABLE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kanker	Kanker	Shri GulapanRam Yadav, Civil Judge Senior Divison, Bhanuprappur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.